न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2019

1. विमला उम्र 54 वर्ष पत्नी स्व. अम्मीलाल जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील मलसीसर
2. रतीराम उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व. अम्मीलाल जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील मलसीसर

आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.03.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम श्योपुरा की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 60 मी0 नये ख0न0 150 तादादी 2.71 है0 के विभाजन पश्चात उक्त खसरा नम्बरान के बट्टा नम्बर 165/150 रकबा 0.77 है0 भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की पैतृक भूमि रही है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का सीर साझा नहीं है। उक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 के पति व 2 के पिता अम्मीलाल का स्वर्गवास वादीगण के दादा परसाराम से पूर्व हो गया था। इसलिये राजस्व रिकार्ड में फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादीगण संख्या 2 को परसाराम का पुत्र दर्ज कर दिया तथा वादी संख्या 1 का नाम विधिक पक्षकार होते हुये भी दर्ज नहीं किया। जिसे दुरूस्त किया जाना वादीगण के न्यायिक हको के मध्य न्यायोचित है। अंत में वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम श्योपुरा के ख0न0 165/150 तादादी 0.77 है0 में वादीया संख्या 1 को विधिक वारिसान होने की हैसियत से खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा उक्त भूमि में वादी संख्या 2 का नाम रतीराम पुत्र परसाराम की बजाय रतीराम पुत्र अम्मीलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.01.2020 के द्वारा रतीराम पुत्र परसाराम के स्थान पर रतीराम पुत्र अम्मीलाल किया जाना उचित बताया साथ ही बिमला पत्नी अम्मीलाल का नाम दर्ज करने के संबंध में पूर्व में दर्ज विरासतन नामान्तरकरण को खारीज (निरस्त) करने के पश्चात ही नया विरासतन नामान्तरकरण अम्मीलाल के वारिसान बिमला पत्नी अम्मीलाल, रतीराम पुत्र अम्मीलाल व कमला पुत्री अम्मीलाल के नाम दर्ज किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि ख0न0 165/150 रकबा 0.77 है0 में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने में कोई उजर एतराज नहीं होना बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रश्नगत भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति रही है विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादीगण संख्या 2 को परसाराम का पुत्र दर्ज कर दिया तथा वादी संख्या 1 का नाम विधिक पक्षकार होते हुये भी दर्ज नहीं किया जो किया जाना न्याय संगत है। कमला पुत्री अम्मीलाल ने अपना हिस्सा अपने भाई रतीराम के नाम पूर्व

से मौखिक हक त्याग कर रखा है। फिर भी तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार कमला पुत्री अम्मीलाल को बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 2 के नाम के आगे परसाराम के स्थान पर अम्मीलाल शुद्व किया जावे तथा वादीगण संख्या 1, 2 व कमला पुत्री अम्मीलाल को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वा वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 165/150 तादादी 0.77 है0 में रतीराम पुत्र परसाराम के स्थान पर रतीराम पुत्र अम्मीलाल शुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा अम्मीलाल के वारिसान बिमला पत्नी अम्मीलाल, रतीराम पुत्र अम्मीलाल व कमला पुत्री अम्मीलाल को प्रत्येक को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
मलसीसर